संख्या-2375/9-8-2009-54ज/07टासा

प्रेषक,

आलोक रंजन,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

(2) समस्त नगर आयुक्त
उ0प्र0

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः दिनांकः 23 फरवरी, 2010

विषयः **प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों के स्वामित्व की पशुवधशालाओं को पी.पी.पी. माडल के आधार पर संचालित किये जाने के संबंध में।**

महोदया,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1370/9-8-09-54ज/07, दिनांक 26 जून, 2009 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों के स्वामित्व की पशुवधशालाओं में निजी क्षेत्र से पूंजी निवेश को प्रोत्साहन करने के लिये वर्तमान समयावधि को और लचीला बनाये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रदेश के समस्त स्थानीय निकायों की स्वामित्व की पशुवधशालाओं को कम से कम 5 वर्ष या अधिकतम 20 वर्ष के लिये पी.पी.पी. माडल के आधार पर निजी सहभागीदारों को अध्यासन तथा प्रयोग के लिये इस शर्त के अधीन दिया जाय कि निजी सहभागीदारों को उपरोक्त अवधि में पशुवधशालाओं का निर्धारित मानकों के अनुरूप आधुनिकीकरण करना होगा और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया प्रथम वर्ष में ही आरम्भ कर उक्त कार्यवाही निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सुनिश्चित करनी होगी, जिसका उल्लंघन होने पर अनुमति निरस्त भी की जा सकती है। शासनादेश संख्या-1855/ 9-8-08-54ई.ओ./07 दिनांक 06.08.08 की शेष शर्ते यथावत् प्रभावी रहेंगी।

2- आप अवगत हैं कि प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों के स्वामित्व की पशुवधशालाओं को पी.पी.पी. माडल के आधार पर संचालित किये जाने के संबंध में पी.पी.पी. बिड इवैल्युएशन कमेटी (बी.ई.सी.) का गठन अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास [illegible] की अध्यक्षता में औद्योगिक विकास अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-यू.ओ.-209/77-3-20[illegible] दिनांक 29 सितम्बर, 2009 द्वारा किया जा चुका है। मेरठ नगर निगम द्वारा कन्सल्टेन्ट का चयन कर आर.एफ.क्यू./आर.एफ.पी. डाक्यूमेन्ट तथा कन्सेशन एग्रीमेन्ट तैयार कराया गया है, जिसे अवस्थापना औद्योगिक विकास आयुक्त द्वारा अनुमोदन भी किया जा चुका है। अन्य नगर निगम तथा नगर निकाय उक्त माडल पर पशुवधशाला के आधुनिकीकरण की कार्यवाही कर सकती है।

3- इस संबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भारत सरकार के पैनल आफ ट्रान्जेक्शन एडवाइजर्स (पैनल मेम्बर्स) में उल्लिखित कन्सल्टेन्ट का चयन करके कन्सेप्ट नोट, आर.एफ.क्यू., आर.एफ.पी. तथा कन्सेशन एग्रीमेन्ट तैयार करके बी.ई.सी. के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत कराने का कष्ट करें ताकि प्रदेश की अन्य पशुवधशालाओं के आधुनिकीकरण की कार्यवाही मेरठ पशुवधशाला की तरह की जा सके।

4- यह भी निदेश है कि कृपया अपने स्तर से समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश, समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायतों को तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
प्रमुख सचिव।